NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE,U.P.

RAJESH GOYAL	ANIL AGARWAL	MANOJ BANSAL	YOGESH JINDAL
PRESIDENT	VICE PRESIDENT	VICE PRESIDENT	TREASURER
9319106205	9319108920	9997905959	9837042001

एनसीआईसी/27/2023–24/ 30 सितम्बर, 2023

सेवा में,
श्रीमान् एडिशनल कमिश्नी ग्रेड–1
वाणिज्य कर (एसजीएसटी)
जयपुर हाउस, आगरा।

महोदय,

हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि नेशनल चैम्बर ऑफ़ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, यू.पी,, आगरा सन 1949 में स्थापित 74 वर्षों से अधिक समय से उद्योग एवं व्यापार के हित संरक्षण में कार्य कर रहा है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक शीर्ष संस्था है। इसमें लगभग 1600 से भी अधिक उद्योग एवं व्यापारिक सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं तथा 25 एसोसिएशन इससे सम्बद्ध है। इसके अनुभवी सदस्यों को विभिन्न राज्य स्तरीय एवं केन्द्र स्तरीय सलाहकार समितियों में नामित किया जाता है तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों को नीति निर्धारण के समय संज्ञान में लिया जाता है।

महोदय, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एण्ड कॉमर्स, यूपी, आगरा इस बात का प्रबल समर्थक है कि व्यापारी को ईमानदारी से व समय पर सरकार का राजस्व (कर) देना चाहिए और हाल ही के जीएसटी राजस्व की प्राप्ति के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि दिनोंदिन व्यापारी एवं उद्यमी जी जान से अधिकतम कर प्रदान कर रहे हैं। जीएसटी से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं :–

1. जीएसटी नवीन कर प्रणाली जुलाई 2017 से लागू की गई थी। इस नवीन कर प्रणाली के सम्बन्ध में उस समय पूरी जानकारी उद्यमियों एवं व्यापारियों को नहीं थी। बल्कि यहां तक कि अधिकारियों एवं कर विशेषज्ञों को भी पूर्ण जानकारी नहीं थी। इसी दरम्यान जीएसटी के नियमों में अनेकों बार बदलाव किये गये। ऐसी विषम परिस्थितियों में न्यूनाधिक कमियां होना स्वाभाविक था। अधिकांशतः उद्यमियों एवं व्यापारियों की किसी भी प्रकार की कर देयता से बचने का कोई आशय नहीं था। परन्तु 5 वर्ष उपरांत अब विभागीय अधिकारियों द्वारा लगभग सभी करदाताओं को ''कारण बताओं'' नोटिस भेजकर कार्यालय बुलाया जा रहा है। इससे उद्योग एवं व्यापार में व्यवधान आ रहा है। साथ ही साथ व्यापार जगत में रोष के साथ सरकार की छवि भी अत्यधिक प्रभावित हो रही है। इस तरह के कार्यों से सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयासों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। जिससे उद्योग एवं व्यापार प्रभावित हो रहे हैं।
2. किसी नोटिस का रिप्लाई देने के लिए जो समय प्रदान किया जाता है उसके अगले दिन पोर्टल बंद कर दिया जाता है जिसमें कोई टैक्स पेयर किसी कारण बस रिप्लाई नहीं दे पाया है तो वह अगले दिन रिप्लाई नहीं कर सकता इसके लिए अधिकारियों से मिलना पड़ता है. कोई कोई अधिकारी तो पोर्टल खोल देता है कोई एलाऊ नहीं करता है हमारा निवेदन है कि अंतिम तिथि के बाद टैक्सपेयर को नोटिस रिप्लाई देने के लिए एडजर्नमेंट एप्लीकेशन लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए।
3. सर्च के दौरान कर जमा करने के लिए कहा जाता है यह उचित नहीं है. इसमें टैक्स पेयर को परेशानी होती है। हमारा निवेदन है कि सर्च के दौरान कर जमा नहीं कराया जाए। उसके लिए समय प्रदान किया जाए।

महोदय, आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थों व जांच अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की अनुकम्पा करें कि पंजीकृत उद्यमियों व व्यापारियों को जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न न

NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES & COMMERCE,U.P.

RAJESH GOYAL	ANIL AGARWAL	MANOJ BANSAL	YOGESH JINDAL
PRESIDENT	VICE PRESIDENT	VICE PRESIDENT	TREASURER
9319106205	9319108920	9997905959	9837042001

किया जाए। यह भी जानकारी प्रदान की जाए कि सर्वे के दौरान कौन सी पत्रावलीओं की जांच की जाएगी या आवश्यकता होगी। जांच का दायरा निश्चित हो जिससे इस आदेश की आड़ में पंजीकृत उद्यमियों का उत्पीड़न न हो। सहायता के लिए कोई ऐसा सम्पर्क सूत्र मोबाइल/फोन नम्बर उपलब्ध कराएं जिससे उत्पीड़न की स्थिति में सीधे उस नम्बर पर सम्पर्क किया जा सके।

सादर,

भवदीय,

(राजेश गोयल)
अध्यक्ष

(अमर मित्तल)
पूर्व अध्यक्ष एवं चेयरमैन जीएसटी प्रकोष्ठ